उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या 556/VII–2/2015/–17उद्योग/2013
देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 742/VII–1/2013/–166उद्योग/2011 दिनांक 4 अप्रैल, 2003 द्वारा मेगा उपक्रमों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमेंट पालिसी 2013 प्रख्यापित की गई जिसे कार्यालय ज्ञाप सं 330/VII–1–14/17उद्योग/2013 दिनांक 26.6.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत किया गया। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने, स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत् श्री राज्यपाल महोदय, निन्मवत् संशोधित मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वैस्टमैंट नीति 2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. इस नीति का नाम **"मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वैस्टमैंट नीति"** 2015 होगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।

iii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगेः–

(अ) एकल उद्योग।

(ब) हॉस्पिटल।

(स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयों को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेरी एवं डेयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि)।

iv. उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अन्तर्गत सिडकुल की

समय–समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रू0 50.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण वाली इकाईयाँ भी आच्छादित होगी।

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस–रू0 50.00 करोड़ से रू0 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश।
2. मैगा प्रोजेक्टस–रू0 75.00 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूँजी निवेश।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–रू0 200.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश।

vii. इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों (31 मार्च, 2020) तक उत्पादन में आने वाली इकाईयाँ लाभान्वित होगी।

viii. नीति के अंतर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की जायेगी:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
2. मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

ix. इस नीति के अंतर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. तीन वर्षों तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अंतर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

xi. इस नीति के अंतर्गत छूटें एवं रियायतें निम्नवत् होंगी:–

1. Validity Period of Scheme : आगामी 05 वर्ष यथा 31 मार्च, 2020 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयाँ।
2. State Capital Subsidy : केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0

50.00 लाख तथा बृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 30.00 लाख की छूट उद्यमियों को दी जायेगी।

3. Interest Subsidy : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक उद्यमियों को 7 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।
4. Vat Concession : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगीः–
   1. लार्ज प्रोजेक्टस–वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।
   2. मैगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस–वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।
5. Power Assistance/Power Bill Rebat : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जायेगी तथा इलैक्ट्रिक डयूटी में 100 प्रतिशत छूट 5 वर्षों के लिये प्रदान की जायेगी।
6. Rebate on Stamp Duty : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 50 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।
7. Concession in Land Registration Fee : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि क्रय/लीजडीड निष्पादन के पंजीकरण हेतु रू0 1/–प्रति रू0 1000/– का शुल्क लिया जायेगा।
8. Subsidy on ETP : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई0टी0पी0 हेतु 30 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जायेगी।
9. Rebate on Mandi Tax : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi Tax पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
10. CST : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षों तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।
11. Payroll assistance for promoting greater employment generation : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि जिन उद्यमों में Specified Threshold of direct employees से दोगुने

कर्मचारी कार्यरत हो को Specified Threshold of direct employees के अतिरिक्त कर्मचारियों पर रू0 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की सब्सिडी आगामी 10 वर्षों तक दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु रू0 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी Specified direct employees प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

xii. इस नीति के जारी होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिए GST या किसी भी अन्य इसी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 556 (1)/VII–2/2015/–17उद्योग/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति के परिचालन दिशानिर्देश, 2016

संख्या640/2014/VII-1/17-इद्योग/2013 दिनांक : 28-7-2016

अध्याय एक

सामान्य

भूमिका

1.1 इन दिशानिर्देशों को "मेगा औद्योगिक और निवेश नीति के परिचालन दिशानिर्देश, 2016 (संक्षिप्त में एमआइआइपी परिचालन दिशानिर्देश, 2016) कहा जायेगा, जिसे लाभ, प्रोत्साहन, रियायत और स्वीकृत तथा वितरण एवं मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 (जिसे यहां आगे एमआइआइपी–2015 कहा गया है) के अधीन अनियमित अथवा धोखे से यदि कोई प्रोत्साहन राशि आहरित की हो, की वसूली के लिए भी प्रकिया के अनुपालन हेतु विशिष्ट उद्देश्यों के साथ बनाया गया है। ये दिशानिर्देश मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2016 के जारी होने की तारीख से अर्थात 28 जुलाई, 2015 से लागू होंगे और 31 मार्च, 2021 तक प्रभाव में बने रहेंगे। अर्ह इण्टरप्राइजेज/ इकाईयां वाणिज्यिक संचालन/ उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष के लिए मेगा औद्योगिक और विनिवेश, 2015 के अनुसार लाभ, प्रोत्साहन और रियायतें प्राप्त कर सकेंगी, किन्तु उन्हें संचालन/उत्पादन उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भीतर प्रारम्भ करना होगा।

परिभाषाएं

1.2 **(क) पूंजी निवेशः** से इन दिशानिर्देशों में यथाविहित सभी स्रोतों से संयुक्त परियोजना में कुल निवेश अर्थात भूमि, स्थल विकास, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी अभिप्रेत है ;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ से–

(एक) किसी नई परियोजना/इकाई के लिए, ऐसी तारीख जिसमें इकाई द्वारा पहली तैयार उत्पाद का बिकय देयक जारी किया जाना,

(दो) किसी विद्यमान परियोजना/इकाई के लिए निवेश हेतु तारीख जिस पर परियोजना/इकाई के विस्तार के पूर्ण होने के पश्चात तैयार उत्पाद के पहले विकय का देयक जारी करना अभिप्रेत है;

(ग) सीएसटी से केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर अभिप्रेत है;

(घ) सक्षम प्राधिकारी से कियान्वयन अभिकरण के अधिकारी अथवा अभिकरण अथवा प्रतिनिधि जिन्हें नीति के कियान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों के अधीन किसी विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये है, अभिप्रेत है;

(डॉ0 आरुराजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

(ड.) **संवितरण अभिकरण** से राज्य संरचना और औद्योगिक विकास कार्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड (संक्षिप्त में सिडकुल) या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय–समय पर इस हेतु पदाविहित किया जाय, अर्ह इकाईयों को लाभ /प्रोत्साहन/रियायत सवितरित/प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे और इकाईयों को समयान्तर्गत संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार से अपेक्षित निधि की मांग/व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उत्तरदायी होगा;

(च) **विद्युत अधिभार** से उत्तराखण्ड विद्युत (अधिभार) अधिनियम (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपांतरण) आदेश, 2001 के अधीन देय विद्युत अधिभार/उपकर अभिप्रेत है;

(छ) **विद्यमान परियोजना /इकाई** से कोई परियोजना /इकाई अभिप्रेत है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में राज्य सरकार द्वारा चिन्हांकित मेगा औद्योगिक और विनिवेश, 2015 में पूर्व से वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन हो रहा है और संचालन अवधि के भीतर विस्तार की कार्यवाही चल रही है, को विद्यमान परियोजना/इकाई के रूप में विचार में लिया जायेगा;

(ज) **विस्तार** से यूनतम रूपये 50.00 (पचास) करोड़ द्वारा किसी विद्यमान इकाई के पूंजी निवेश के मूल्य में वृद्धि अभिप्रेत है;

(झ) **नियत पूंजी निवेश** से नियत पूंजी निवेश में (नयी इकाई/परियोजना के मामले में) अचल नियत परिसम्पति में निवेश जैसे संयंत्र और मशीन तथा कारखाना भवन अथवा (विस्तारित इकाई/ परियोजना के लिए संयंत्र और मशीन तथा कारखाना भवन में अतिरिक्त निवेश) सम्मिलित है;

(ञ) **कियान्वयन अभिकरण** से उत्तराखण्ड सरकार का औद्योगिक विकास विभाग अनुश्रवण और कियान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य करेगा, अभिप्रेत है;

(ट) **आद्यौगिक आस्थान** से उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों के सथापना के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चिन्हांकित/अधिसूचित कोई औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ठ) **बडे उद्योग एवं उससे बडे उद्योग परियोजनाएं** – पूंजी निवेश परियोजनाओं के आधार पर निम्नवत बडे उद्योग एवं उससे बडे उद्योग के रूप में वर्गीकरण किया जायेगा–

(1) बडी परियोजनाएं – 50 करोड से 75 करोड़ के पूंजी निवेश।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

(2) मेगा परियोजाएं – 75 करोड से 200 करोड के पूंजी निवेश।

(3) उससे बडी परियोजनाएं – 200 करोड़ रूपये के अधिक के पूंजी निवेश।

(ड)मंडी कर/शुल्क से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 समय–समय पर यथासंशोधित के अधीन अधिरोपित और भुगतान किये जाने वाला शुल्क, अभिप्रेत है;

(ढ) विनिर्माता से कोई गतिविधि जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन कर प्रक्रिया, उपचार, श्रम के परिणामस्वरूप और इसके परिणाम से कोई नया और भिन्न वस्तु जो किसी अलग नाम, प्रकृति और उपयोग से वाणिज्यिक रूप में आये किन्तु इसमें विनिर्माता की ऐसी गतिविधियां सम्मिलित नही है जो कि सरकार द्वारा अविनिर्धारित की जायं;

(ण) **नई परियोजना/इकाई** से एमआइपीपी–2015 की वैधता अवधि के दौरान उत्तराखण्ड राज्य में राज्य सरकार द्वारा चिन्हांकित मेगा औद्योगिक और विनिवेश, 2015 तथा एमआइपीपी–2015 की वैधता अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली स्थापित परियोजना/इकाई अभिप्रेत है;

(त) **नोडल अभिकरण** से उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ सभी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने और आवेदनों तथा दावों की समुचित और समयवद्ध प्रक्रिया में संवीक्षा समिति, राज्य स्तरीय समिति और संवितरण समिति के लिए नोडल अभिकरण होगा। उद्योग निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(थ) **नीति** से मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 अभिप्रेत है;

(द) **संवीक्षा समिति** से इन दिशानिर्देशों के संलग्नक परिशिष्ट एक में यथाउल्लिखित दिशानिर्देश और नीति के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की सवींक्षा के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(ध) **राज्य स्तरीय समिति** से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (जिसे यहां आगे एकल खिड़की अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित नियमों अथवा नीति के अधीन लाभ की स्वीकृति के लिए समय–समय पर यथाविहित कोई अन्य समिति के रूप में यथाविहित राज्य स्तरीय समिति अभिप्रेत है;

(न) **स्टाम्प अधिभार** से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन देय स्टाम्प अधिभार के रूप में परिभाषित अधिभार अभिप्रेत है;

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

पात्रता मानदंड 1.3 (क) इस दिशा निर्देश के अधीन केवल वही नई परियोजनाएं/इकाईयां अथवा विद्यमान इकाईयां जिनका विस्तारीकरण हो रहा हो, आच्छादित होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थान के रूप में चिन्हांकित किया गया हो।

(ख) विद्यमान इकाईयों के विस्तारीकरण के लिए केवल वही नई परियोजनाए/इकाईयां अथवा परियोजनाओं जिसमें रूपये 50.00 करोड़ (पचास करोड रूपये) से अधिक (विद्यमान इकाईयों में अतिरिक्त निवेश/प्रस्तावित निवेश के विस्तारीकरण के मामले में) प्रस्तावित पूंजी निवेश हो इस रीति से आच्छादित होंगे और एमआइपीपी–2015 के अनुसार लाभ, प्रोत्साहन और रियायतों का उपभोग करने के लिए अर्ह होंगे।

(ग) नई परियोजना/इकाई के मामले में इस धनराशि के आंकलन के लिए नियत पूंजी परिसम्पति के अतिरिक्त भूमि का मूल्य और भूमि विकास मूल्य (वास्तविक रूप से भुगतानित/भुगतान के लिए अपेक्षित) प्रत्येक 50.00 करोड़ पूंजी निवेश के लिए भूमि के 10 एकड़ की अधिकतम सीलिंग के अध्यधीन जोड़ा जा सकेगा।

(घ) विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के मामले में इस धनराशि के आंकलन के लिए विस्तारीकरण हेतु किये जाने वाले केवल अतिरिक्त पूंजी निवेश को ध्यान में रखा जायेगा।

(ड.) राज्य/केन्द्रीय सरकार/विदेशी अभिकरण के अधीन किसी विभाग/अभिकरण से ऐसी इकाईयां जो पूर्व से ही अनुदान /प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे है, इस नीति के अधीन समान प्रकृति के प्रोत्साहन को पाने के लिए पात्र नही होंगे।

(च) विस्तारीकरण प्रकियाधीन परियोजना/इकाई केवल अतिरिक्त पूंजी निवेश किये जाने के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे अर्थात विद्यमान इकाई के विस्तारित भाग के लिए। इस नीति के अधीन सभी लाभों, प्रोत्साहनों, रियायतें विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के प्रत्येक चरण पर लागू होंगे। लाभ, प्रोत्साहन और रियायतों के प्रभाव के दौरान संबंधित विस्तारित चरण/चरणों के प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से अभिनिर्धारित किया जायेगा।

पात्रता प्रमाण पत्र 1.4 (क) पात्रता प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जोयगा। यह यह सुनिश्चित करने के पश्चात जारी किया जायेगा कि पात्रता के लिए सभी मानदंड सक्षम अधिकारी पूर्व संतुष्टि को पूर्ण करने के लिए पात्र है।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास

(ख) कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के 90 दिन के भीतर विहित प्ररूप नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है।

(ग) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

(ड.) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।

(च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र क प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के अनुमोदन पर नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी तुरन्त किन्तु राज्य स्तरीय समिति की बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक को विहित प्ररूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(छ) वास्तविक विस्तार के पश्चात् उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख और पूंजी निवेश, उत्पादन में परिवर्तन को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पूर्व इकाई के ईएम भाग दो/ आईईएम में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ज) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्ररूप के साथ चाट्रेड इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संयुक्त हैसियत आंकलन प्रस्तुत की जायेगी। संबंधित इकाई सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से विस्तारित कार्यकम को लिये जाने के

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश।

उसके आशय से अवगत करायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई द्वारा किया गया पूंजी निवेश विस्तारीकरण के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में जाने की तारीख तक उसकी अग्रिम आवेदन की तारीख से आंकलित किया जायेगा।

(झ) पात्रता प्रमाण पत्र के आवदेन के प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब अथवा प्रोत्साहन के लिए अन्य आवेदन पत्रों के अनुज्ञेय नही होगा। यद्यपि पर्याप्त आधार के मामले में विलम्ब को राज्य स्तरीय समिति मर्सित करने की अनुमति दे सकेगी।

(ञ) जब तक राज्य स्तरीय समिति किसी दावे को अनुमोदित न करने नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन के लिए कोई अधिकार या दावा नीति द्वारा प्रदत्त इस तथ्य के आधार पर दिया गया नहीं समझा जायेगा कि कोई इकाई नीति की शर्तों के भागों के पूर्ण करती है।

(ट) संबंधित कियान्वयन अभिकरण द्वारा नीति के अधीन जारी किए गये पात्रता प्रमाण पत्र के बिना नीति के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन के लिए कोई दावा नही किया जा सकेगा और सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की वास्तविक शर्तो का अनुपालन इकाई को करना होगा।

(ठ) कियान्वयन अभिकरण के निर्णय ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये जायं के अध्यधीन अंतिम और बाध्यकारी होंगे ।

(ड) पात्रता प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात नीति के अधीन कोई इकाई सभी प्रकार के रियायतों, प्रोत्साहनों, सहायकी(सब्सिडी)ों, प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए अर्ह हो जायेंगे।

अनंतिम प्रमाण (पीईसी) पात्रता पत्र 1.5

(क) अनंतिम पात्रता प्रमाण ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और नई इकाईयों के गठन के इच्छुक हों तथा पात्रता प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रतिक्षा नही कर सकने और वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने से पूर्व आवेदन करने के लिए आवेदन जो कि लाभ/रियायत, भूमि की दरों, स्टाम्प अधिभार में सहायकी(सब्सिडी) और ऐसे अन्य लाभों के लिए नीति के अधीन फायदे उपभोग करना चाहते हों।

(ख) एमआइपीपी–2015 के अधीन पात्रता प्राप्त करने वाली इकाईयां अनंतिम पात्रता प्रामण पत्र के जारी किये जाने के लिए सभी संबंधित अभिलेखों और प्रमाण पत्रों के साथ नोडल अभिकरण को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकते है।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

(ग) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

(ड.) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।

(च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र क प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के अनुमोदन पर नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी तुरन्त किन्तु राज्य स्तरीय समिति की बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक को विहित प्ररूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(छ) अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र के प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई इकाई एमआइपीपी 2014 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि दरों में रियायत के दावे और संशोधित भुगतान निबंधन तथा ऐसे अन्य लाभों के दावे करने योग्य हो जायेंगे। नीति के अधीन जारी अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर सिडकुल द्वारा दिए गये रियायत की धनराशि नीति के अधीन उपलब्ध निधि के विरूद्ध समायोजित अथवा सिडकुल को सरकार द्वारा उपलबध करायी गई भूमि के मूल्य के विरूद्ध प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ज) विस्तार के लिए तैयार विद्यमान इकाईयां भारत सरकार के साथ संबंधित जिला उद्योग केन्द्र अथवा औद्योगिक व्यवसायी संगम के साथ व्यवसायी संगम भरकर प्राप्ति प्राप्त कर सकते है।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सिविल कार्यों और संयंत्र तथा मशीनरी के अर्ह/अनर्ह सामग्री

1.6 **(क) अर्ह सिविल कार्यः–** विनिर्माण प्रकिया/ सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुडे निम्नलिखित सिविल कार्य अर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अर्ह माने जायेंगे–

(एक) विनिर्माण और आवश्यक सहायक प्रकियाओं में सीधे सम्बद्ध उपयोगिता क्षेत्रों सहित कारखाना सेड/ भवन अर्थात संयंत्र भण्डार, गुणवत्ता नियंत्रण, विद्युत कक्ष, अनुरक्षण कार्यशाला (वास्तविक अथवा प्रभावी लोक निर्माण विभाग अनुसूची की दरें जो भी कम हो),

(दो) प्रभावी एसआईडीए मानक के अनुसार आवश्यक आवासीय सुविधाएं जो लागू हों,

(तीन) कारखाना परिसर पर कच्चे माल और तैयार उत्पाद के गोदाम का निर्माण (वास्तविक अथवा प्रभावी लोक निर्माण विभाग अनुसूची की दरें जो भी कम हो),

(चार) आवश्यक सिविल सन्निर्माण कार्य जैसे मशीन, उपस्कर (वास्तविक अथवा प्रभावी लोक निर्माण विभाग अनुसूची की दरें जो भी कम हा)

(पांच) अभियंता प्रमाण पत्र विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

(छः) सिविल कार्यों की वास्तविक लागत विहित प्ररूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(क–1) अनर्ह सिविल कार्यः विनिर्माण प्रकिया/ सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुडे निम्नलिखित सिविल कार्य अनर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अनर्ह माने जायेंगे(सूची सम्पूर्ण नही है)–

(एक) चारदीवारी तथा गेट।

(दो) पहुंच सडक/आंतरिक सड़क।

(तीन) कार्यालय भवन/कार्यालय हेतु उपयोग क्षेत्र।

(चार) कच्चा माल/ सामग्री कारखाने से अलग स्थान पर स्थित गोदाम।

(पांच) कोई आवासीय भवन या रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस।

(छः) जलपान गृह।

(सात) श्रमिक रेस्ट कमरे तथा श्रमिकों हेतु आवास।

(आठ) सुरक्षा/गार्ड के कमरे या बाढ़ा।

(नौ) निर्माण पुल का भार।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

(दस) परामर्श शुल्क, करें इत्यादि।

(ख) पात्र संयंत्र तथा मशीनरी

(एक) सीधे निर्माण प्रकिया से जुडे मशीनरी/उपस्करों का प्रारम्भिक मूल्य।

(दो) सीधे निर्माण प्रकिया से जुडे उपकरण की तरह सहायक उपकरण, जिग्स, डाइज, मोल्डस।

(तीन) संयंत्र और मशीनरी सहित जुडी मोटरें।

(चार) मशीनरी/उपकरणों की स्थापना , निर्माण तथा कमीशन।

(पांच) परिवहन शुल्क, परिवर्तन बीमा, वैट/सीएसटी, उत्पादन शुल्क, प्रवेश पर कर आदि (स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के मामले में)का भुगतान ।

(छः) आयात शुल्क, शिपिंग शुल्क, सीवीडी, कंटेनर हैंडलिंग शुल्क, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क, वैट/सीएसटी भुगतान बंदरगाह से परिवहन शुल्क प्रवेश कर (आयातित मशीनरी/उपकरण के मामले में) आदि।

(सात) गुणवत्ता नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और अग्निशमन उपकरण।

(आठ) आंतरिक विद्युतीकरण, पैनल बोर्ड, समर्पित ट्रासफार्मर, गैस उत्पादक संयंत्र, विद्युत उत्पादन सेट आदि सहित विद्युत प्रतिष्ठान।

(नौ) उपयुक्त सभी सामग्रियों का भुगतान चैक/मांग डाफ्ट/नैफ्ट/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा जो पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले बैंक विवरण में दर्शित होना चाहिए।

(दस) चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूत में प्रस्तुत किया जाना।

(ख–1) अर्नह संयंत्र और मशीनरीः

(एक) संयंत्र और मशीनरी सीधे निर्माण की प्रकिया से संबंधित नही है।

(दो) ईधन, उपभोज्य, पुर्जे तथा स्टोर।

(तीन) कम्प्यूटर और कार्यालय फर्नीचर।

(चार) वाहन।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

(पांच) सेकंड हैण्ड/ पुरानी मशीनरी।

(छः) सुरक्षा प्रणाली से संबंधित उपकरण बंद किये सर्किट और सीसीटीवी कैमरे ।

(सात) स्टेशनरी सामग्री।

अन्य 1.7 (क) **पूंजी निवेश का विनिर्धारण**: पूंजी निवेश के विनिर्धारण में उत्पन्न किसी भिन्नता के मामले में राज्य स्तरीय समिति/ अनुमोदन प्राधिकारी परीक्षण करेगा और उस पर निर्णय लेगा।

(ख) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्ररूप के साथ चार्टेड इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संयुक्त हैसियत आंकलन प्रस्तुत की जायेगी। संबंधित इकाई सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से विस्तारित कार्यक्रम को लिये जाने के उसके आशय से अवगत करायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई द्वारा किया गया पूंजी निवेश विस्तारीकरण के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में जाने की तारीख तक उसकी अग्रिम आवेदन की तारीख से आंकलित किया जायेगा। प्राधिकृत अग्रिम आवेदन की प्रति पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(ग) नीति के अधीन लाभ/रियायत /प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली नई इकाईयां विद्यमान इकाई/विस्तारित इकाई के संचालन के छः माह की समाप्ति पर केवल किसी अग्रेत्तर विस्तार के लिए लाभ/रियायत/प्रोत्साहन हेतु अर्ह होंगे।

(घ) सिविल सन्निर्माण के साथ–साथ संयंत्र और मशीनों में निवेश की अंतिम तारीख ईएम1/आईईएम की प्राप्ति की तारीख से इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख तक होगी।

(ड.) संवितरण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्धता और सरकार द्वारा स्वीकृति निधि के आवंटन के अध्यधीन राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रोत्साहन, रियायत, लाभ, प्रतिपूर्ति के सापेक्ष निधि जारी की जा रही है।

(च) राज्य स्तरीय समिति किसी आवेदन पत्र को उसके दावे/संशोधित दावे पर संवीक्षा समिति संस्तुतियों के आधार पर अथवा अन्य कतिपय वैध आधार पर अनुमोदित करने या उसे अस्वीकार करने अथवा कोई आवेदन पत्र/दावों को इस प्रयोजन के लिए जैसा कि वह ठीक समझे, पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप लंबित रख सकेगा।

(छ) लाभग्राही इकाई द्वारा तथ्यों के किसी दुर्विनियोग या अभिलेखों में किसी

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

अनियमितता के पाये जाने की घटना पर सक्षम प्राधिकारी कारण बताओं नोटिस जारी कर सकेगा और लाभों को तुरन्त वापस ले सकेगा। संबंधित प्राधिकारी नोटिस/ कारण बताओं सूचना के जारी होने की तारीख से अधिकतम 15 दिनों में उसका प्रत्यावेदन/ उत्तर दिये जाने की इकाई को अनुमति दे सकेगा। संबंधित प्राधिकारी का उस पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ज) संबंधित प्राधिकारी इकाई द्वारा त्रुटि से उपभोग किए गये लाभों को 30 दिन की अवधि के भीतर वापस करन के लिए कह सकेगा। यदि इकाई ऐसा करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी धनराशि के साथ–साथ उस पर ब्याज और विधि की अधीन यथाअनुज्ञेय ऐसे दण्डात्मक कार्यवाही के साथ–साथ वसूली हेतु सक्षम विधि के न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकेगा।

(झ) भूमि के आवंटन अथवा अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र अथवा पात्रता प्रामण पत्र की जारी करने की तारीख जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन करने में असफल रहती है तो नीति के अंतर्गत दिये गये लाभों को वापस लिया जा सकेगा। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से यदि कोई इकाई लगातार तीन वर्षों के उत्पादन के बाद बंद हो जाती है तो संबंधित समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित अनुदान/सब्सिडी की धनराशि संबंधित इकाई को उनके बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जारी कर दी जायेगी।

(ञ) सभी पात्र इकाईयां विहित प्ररूप के अनुसार यह विवरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगी कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सूचनाएं सही है।

उपांतरण/संशोधन इत्यादि की शक्ति 1.8 (क) राज्य सरकार को किसी भी समय लोक हित में दिशानिर्देशों के किसी भाग में कोई विस्तार, उपांतरण या निरसन करने का अधिकार होगा।

(ख) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इन नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नही होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

(ग) राज्य सरकार यदि वह ऐसा चाहे तो समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन/ लाभ को उपांतरित करने या कोई शर्त विस्तारित करने या अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगी।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश शासन।

विविध 1.9 (क) यदि इन दिशानिर्देशों के कियान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो उत्तराखण्ड सरकार के उद्योग विकास के विभाग इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकारी होगा।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

नीति के अधीन प्रभावित वित्तीय सहायता में नये कर अधिनियमों प्रवेश 1.10 यदि और ऐसे समय पर इन दिशानिर्देशों के जारी होने के पश्चात यदि उत्तराखण्ड राज्य में मूल्य वर्धिक कर और /अथवा केन्द्रीय सेवा कर वस्तु और सेवा कर अथवा कोई अन्य समान विधि कर के अधिरोपण हेतु प्रतिस्थापित की जाती है तो इकाई के वित्तीय हित इकाई को मिलने वाले वही आर्थिक लाभों को यथावत रखने के कम में समायोजित किया जा सकेगा।

त्रुटियों का सुधार 1.11 नीति के अधीन सब्सिडी की धनराशि के प्रशमन में अभिलेखों पर दर्शित किसी त्रुटि को ठीक करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश से ऐसी इकाई को सब्सिडी वितरित कर सकेगी और अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो 12प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल कर सकेगी। इस योजना के अधीन दिये गये लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के पश्चात जहां पूर्ण रूप से लाभों का उपभोग किया जा चुका हो, के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नही किया जायेगा।

अपील 1.12 (क) राज्य स्तरीय समिति को संबंधित विभाग/कियान्वयन अभिकरण/संवितरण अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध किसी अपील को सुनने और उसके निस्तारण की शक्ति होगी।

(ख) राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश/ निर्णय के विरूद्ध कोई अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(ग) अपील के लिए आवेदन पत्र निर्णय को सूचित करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी।

नीति में स्पष्टता /उपांतरण/ परिशोधन 1.13 (क) उत्तराखण्ड सरकार में लोक हित में जब और जैसा आवश्यक हो नीति को संशोधित/उपांतरित/स्पष्टता करने का अधिकार होगा। यद्यपि इस नीति से संलग्न प्ररूप नीति के कियान्वयन में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जब और जैसे आवश्यक हों, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपांतरित, परिवर्तित, विस्तारित अथवा निरसित किए जा सकेंगे।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

(ग) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इन नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नही होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

अध्याय दो

पात्र इकाईयों को लाभ/रियायतें/प्रोत्साहन

सिडकुल द्वारा भूमि का आवंटन 2.1

(क) इन उपबंधों के अधीन भूमि का आंवटन एच्छिक साझेदारों को समय–समय पर अभिनिश्चित दिशानिर्देशों तथा सिडकुल के प्रभावी दरों के अनुसार चालू एकल खिडकी के अधीन सिडकुल द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस नीति के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित भूमि आवंटन सिडकुल के प्रभावी दरों पर 15 प्रतिशत बडी परियोजनाओं को और मेगा परियोजनाओं को 25 प्रतिशत तथा उससे बडे परियोजनाओं को 30 प्रतिशत की विशेष छूट/रियायत दी जायेगी।

(ग) इस नीति के अधीन सिडकुल द्वारा आंवटित भूमि के भूमि किश्त (सब्सिडी/रियायत के पश्चात्) का 20 प्रतिशत भूमि के आवंटन पर भुगतानित किया जायेगा और शेष धनराशि ब्याज सहित समान किश्तों में आगामी सात वर्षों के दौरान भुगतानित की जायेगी।

पात्र बडे/मेगा/अधिक मेगा परियोजनों के लिए नीति के अधीन प्रोत्साहन और अन्य रियायतें 2.2

(क) एमएसएमई सेक्टराधीन इकाईयों को 15 प्रतिशत की पूंजी सहायकी(सब्सिडी) अथवा अधिकतम 50 लाख रूपये या उससे अधिक की मेंगा इकाईयों को 15 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी अथवा वर्ष 2017 तक 30 लाख की अधिकतम सब्सिडी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ से आगामी सात वर्ष के लिए सात प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी उपलब्ध करायेगी।

(ग) तैयार उत्पाद के बिक्री पर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से आगामी पांच वर्षों के लिए बडी परियोजाओं को मूल्य वर्धित कर का 30 प्रतिशत और मेगा परियोजना और उससे बडी परियोजनाओ को मूल्य वर्धित कर का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य उपभोग की गई विद्युत पर एक रूपया प्रति यूनिट की रियायत उपलब्ध करायेगी और यह सुनिश्चित करेगी की वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ से आगामी पांच वर्षों के लिए कोई विद्युत कटौती न हो। विद्युत अधिभार के भुगतान पर शतप्रतिशत सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से आगामी पांच वर्षों के लिए दी

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

जायेगी।

(ड.) भूमि कय /पटटा विलेख के निष्पादन पर नीति के अधीन आच्छादित इकाईयों को स्टाम्प अधिभार के भुगतान पर 50 प्रतिशत छूट उत्तराखण्ड सरकार द्वारा करायी जायेगी।

(च) उत्तराखण्ड सरकार भूमि कय/भूमि विलेख के रजिस्टीकरण शुल्क में रूपया एक हजार के प्रत्येक मूल्यांकन पर रूपया एक अधिभार की छूट देगी ।

(छ) उत्तराखण्ड सरकार इटीपी के स्थापना के लिए 30 प्रतिशत की पूंजी साहयिकी अधिकतम रूपया 50 लाख के अध्यधीन उपलबध करायेगी।

(ज) उत्तराखण्ड सरकार टैक्सटाइल इकाइयों को मंडी शुल्क पर 75 प्रतिरूरत छूट देगी।

(झ) उत्तराखण्ड राज्य वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 5 वर्ष की अवधिक के लिए तैयार माले के विकय पर पात्र इकाइयों हेतु अधिभार एक प्रतिशत केन्दीय इकाईयों को प्रस्तावित करेगी।

(ञ) उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक अतिरक्ति कर्मचारी (महिला कर्मचारियें के मामले में प्रति अतिरक्ति कर्मचारी रूपया 700 प्रतिमाह होगा) पर प्रतिमाह 500 रूपये का प्रस्ताव पात्र परियोजनाओं और इकाईयों को सहायता के लिए प्रस्तावित करते हुए विशिष्ट सीधे कर्मचारियें के न्यूनतम दो बार कर्मचारियों की संख्या को बढाया जायेगा। अतिरिक्त कर्मचारी से विशिष्ट सीधे कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों की संख्या अभिप्रेत है।

अध्याय तीन

लाभों के उपबंध, प्रकियाएं और संवितरण

3.1 पूंजी साहायकी(सब्सिडी)।

3.1.1 पूंजी साहायकी(सब्सिडी) समय–समय पर यथालागू विद्यमान मानदंडों और प्रकियाओं के अनुसार आच्छादित होगा।

3.2 ब्याज साहायकी(सब्सिडी)।

3.2.1 ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए उपबंध।

3.2.1.1. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/लाभ के अधीन कोई समान लाभ अथवा प्रोत्साहन अथवा साहायकी(सब्सिडी) प्राप्त कर रही इकाईयां इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नही होंगे।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

3.2.1.2. परियोजना संयंत्र और मशीन तथा भवनों में किए जाने वाले निवेश हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया मान्यता प्राप्त कोई राज्य वित्तीय संस्था/ वित्तीय संस्था/ बैंक से लिया जाने वाला सावधि ऋण पर ब्याज साहायकी(सब्सिडी) अनुमन्य होगी। नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लिये गये किसी सावधि ऋण जिसकी पहली किश्त इस नीति के प्रारमभ से पूर्व वितरित कर दी गई है। ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए विचार में नही ली जायेगी।

3.2.1.3 ब्याज साहायकी(सब्सिडी) केवल वित्तीय संस्थाओं/ बैंक द्वारा अधिरोपति ब्याज के लिए उपबल्ध होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अथवा अन्य अधिभार की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

3.2.1.4 ब्याज साहायकी(सब्सिडी) सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि तक जो भी पहले हो, अनुज्ञेय होगी। ब्याज साहायकी(सब्सिडी) की अवधि प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से प्रभाव में आने की तारीख से अनुज्ञेय अवधि तक गिनी जायेगी।

3.2.1.5 ब्याज साहायकी(सब्सिडी) ऐसे इकाईयों को दी जायेगी जिन्होंने नियमित रूप से वित्तीय संस्थाओं /बैंक को किश्त और ब्याज का भुगतान किया गया हो। यदि इकाईयां इसमें असफल होंगी तो असफलता अवधि के लिए ब्याज साहायकी(सब्सिडी) नही दी जायेगी और उपर्युक्त प्रस्तर 3.2.1.4 में यथाउल्लिखित सात वर्ष की अवधि से ऐसी असफलता अवधि घटा दी जायेगी।

3.2.2 **ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के दावे हेतु प्रकिया**

3.2.2.1 नीति के अधीन ब्याज साहायकी(सब्सिडी) उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाईयां सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति को उक्त प्ररूप के अधीन अपेक्षित अभिलेखों के साथ विहित प्ररूप में "ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन" पर सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के संवितरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संबंधित बैक/ वित्तीय संस्था का इस आशय का प्रमाण पत्र कि इकाई द्वारा नियमित रूप से मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान कर दिया गया है। बैंक मूलधन /ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी असफलता के बारे में भी प्रमाण पत्र में उल्लेख करेंगे। ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रथम आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन सहित उस तिथि तक भुगतानित ब्याज साहायकी के प्रतिपूर्ति हेतु उसके दावे के प्रारम्भ के 45 दिन के भीतर किया जायेगा। ततपश्चात के दावे त्रेमासिक आधार पर 45 दिन के भीतर त्रैमास के अंत में किए जायेंगे।

3.2.2.2. आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.2.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.2.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.2.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.2.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.2.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.2.3 **ब्याज साहायकी(सब्सिडी) का संवितरण करने के लिए प्रकिया :**

(1) ब्याज साहायकी(सब्सिडी) का संवितरण केवल वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात किया जायेगा।

(2) स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

अधिकारी सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति :

3.3.1 मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति और सब्सिडी के लिए उपबंध

3.3.1.1 इकाई उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करेगा।

3.3.1.2 वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष के लिए नीति के अधीन पात्र इकाई को बिक्री पर बडी परियोजनों के लिए 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और मेगा परियोजना/ उससे बडी परियोजनों के लिए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भुगतानित मूल्य वर्धित कर की पूर्ति की जायेगी।

3.3.2 **मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति के दावों के लिए प्रकिया:**

3.3.2.1 (1) मूल्य वर्धित कर की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति को उपभोग करने के इच्छुक अर्ह इकाई विहित प्ररूप में "मूल्य वर्धित कर के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन" प्ररूप में मूल्य वर्धित के प्रतिपूर्ति के लिए सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन पत्र सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा। मूल्य वर्धिक कर प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रथम आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन सहित उस तिथि तक भुगतानित मूल्य वर्धित कर के प्रतिपूर्ति हेतु उसके दावे के प्रारम्भ के 45 दिन के भीतर किया जायेगा। ततपश्चात के दावे त्रेमासिक आधार पर 45 दिन के भीतर त्रैमास के अंत में किए जायेंगे।

(2) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

(3) जहां ऊपर खण्ड 3.3.3.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन के विलम्ब को उसके समाधान हो जाने पर राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात मर्षित किया जा सकेगा।

(4) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(5) राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

(6) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.3.3 **मूल्य वर्धित कर संवितरण हेतु प्रकिया :**

3.3.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.4 **विद्युत सहायता / विद्युत देयक साहायकी(सब्सिडी)**

3.4.1 **विद्युत सहायता के लिए उपबंध**

3.4.1.1 पात्र टेक्सटाइल इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पांच वर्षों के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति जिसमें विद्युत रोस्टिंग के लिए पूर्व सूचना सहित सम्मिलित है, उपलबध करायी जायेंगी।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास

3.4.1.2 उत्तराखण्ड राज्य वाणज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात आगामी सात वर्षों के लिए उपभोग की गई विद्युत इकाईयों पर एक रूपयां प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति करेगी।

3.4.1.3 पात्र इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी सात वर्ष विद्युत अधिभार का शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी।

3.4.1.4 भुगतानित विद्युत अधिभार तथा उपभोग की गई विद्युत यूनिट पर एक रूपया प्रति की प्रतिपूर्ति केवल विनिर्माण /उत्पादन अथव उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए जो कि इकईयों को औद्योगिक प्रयोग के लिए दिये गये एकल संयोजनों पर लागू होगी।

3.4.2 **विद्युत सहायता के दावे हेतु प्रकिया :**

3.4.2.1 विद्युत अधिभार और एक रूपया प्रतियूनिट पर उपभोग की गई विद्युत यूनिट की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति के इच्छुक पात्र इकाईयां विहित प्ररूप पर नोडल अभिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करंगे। आवेदन पत्र प्रत्येक त्रैमास के अंत में 45 दिन मे भीतर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

3.4.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.4.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.4.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.4.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.4.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का

(डॉ0 अरविन्द राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.4.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.4.3 **विद्युत सहायता से संवितरण की प्रकियाः**

3.4.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.5 **स्टाम्प अधिभारः**

3.5.1 स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध

3.5.1.1 पात्र इकाईयों को भमि कय/ भूमि पट्टे के निष्पादन पर स्टाम्प अधिभार के भुगतान की 50प्रतिशत पूर्ति की जाएगी।

3.5.2 **स्टाम्प अधिभार छूट के लिए प्रकियाः**

3.5.2.1 इस नीति के अधीन विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के लिए अथवा नई इकाई के स्थापना के लिए विनिवेश हेतु पात्र इकाईयां विहित प्ररूप में "स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन" प्ररूप में स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के लिए सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन पत्र नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा। विलेख के निष्पादन के पश्चात 45 दिन के भीतर आवेदन किया जायेगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

3.5.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत

(डॉ0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.5.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.5.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.5.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.5.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.5.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.5.3 **भुगतानित स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए प्रकिया**

3.5.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

3.6 **मंडी कर/शुल्क छूट**

3.6.1 मंडी शुल्क छूट/प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध

3.6.1.1 पात्र इकाईयां टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित सभी वस्तुओं पर मंडी कर /शुल्क के भुगतान करने पर 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे चाहे कच्चे माल/परसंस्कृत/तैयार उत्पाद जिस पर मंडी कर लागू है, ही क्यों ना हो।

3.6.2 **मंडी कर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकिया**

3.6.2.1 भुगतानित मंडी शुल्क/ कर की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई त्रैमास के अंत के 45 दिन के भीतर त्रैमासिक अधार पर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चाट्ड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतानित करके विवरण सहित विहित प्ररूप में "मंडी कर की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र" में सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.6.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.6.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.6.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.6.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.6.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.6.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.6.3 भुगतानित मंडी कर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकिया

3.6.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.7 केन्द्रीय विकय कर उपबंध

3.7.1 केन्द्रीय विकय कर प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध;

3.7.1.1 इकाई केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करेगी।

3.7.1.2 वाणिज्यिक उत्पाद के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष के लिए नीति के अंतर्गत अर्ह इकाई को विकय पर केन्द्रीय विकय कर के बकाये पर एकप्रतिशत प्रतिपूर्ति की जोयेंगी।

3.7.2 केन्द्रीय विकय कर दावे प्रतिपूर्ति हेतु प्रकिया

3.7.2.1 भुगतानित केन्द्रीय विकय कर की एक प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई त्रैमास के अंत के 45 दिन के भीतर त्रैमासिक अधार पर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चाट्ड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतानित करके विवरण सहित विहित प्ररूप में ''केन्द्रीय विकी कर की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र'' में सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.7.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.7.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.7.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.7.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.7.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.7.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.7.3 **केन्द्रीय विकी कर संवितरण हेतु प्रकिया**

3.7.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.8 रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति

3.8.1 रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध

3.8.1.1 इस नीति के अधीन पात्र इकाई को रूपया एक हजार प्रति पर रूपया एक के अधिक में भूमि क्रय विलेख/पटटा विलेख के रजिस्टीकरण के लिए भुगतानित रजिस्टीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.8.2 रजिस्ट्रेशन शुल्क के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रकिया

3.8.2.1 भुगतानित आधिक्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई भूमि क्रय/भूमि विलेख के रजिस्टीकरण के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चाट्र्ड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य सहित भुगतानित रजिस्टीकरण शुल्क के विवरण सहित विहित प्ररूप में ''रजिस्टीकरण शुल्क के प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र'' में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

3.8.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सर्वीक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.8.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.8.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.8.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.8.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.8.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.8.3 **संवितरण हेतु प्रकिया**

3.8.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.9 ईटीपी पर साहयिकी (सब्सिडी)

3.9.1 ईटीपी के स्थापना हेतु साहयिकी के लिए उपबंध

3.9.1.1 उत्तराखण्ड सरकार पात्र परियोजनाओं/ इकाईयों को नीति के अधीन अधिकतम रूपया 50 लाख के अध्यधीन ईटीपी के स्थापना के लिए 30 प्रतिशत साहयकी देगी।

3.9.1.2 केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना /पैकेज के अधीन समान साहयिकी प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी साहयकी के लिए अर्ह नही होगी।

3.9.1.3 ईटीपी के स्थापना हेतु सहायिकी इटीपी के स्थापना से सीधे जुड़े हुए नियत पूंजी निवेश पर आंगणित की जायेगी।

3.9.1.4 पात्र इकाईयां ईटीपी संयंत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के पश्चात ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।

3.9.2 ईटीपी के स्थापना पर साहयकी के दावों की प्रकिया।

3.9.2.1 ईटीपी के स्थापना पर प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चाट्ड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य सहित भुगतानित ईटीपी के विवरण सहित विहित प्ररूप में ''ईटीपी हेतु साहयकी के दावों के लिए आवेदन पत्र'' में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

3.9.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस

(डॉ0 आरधनारा कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास

प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.9.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.9.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.9.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.9.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

3.9.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.9.3 संवितरण हेतु प्रकिया

3.9.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

3.10 उच्च रोजगार सृजन उन्नयन के लिए पेरौल सहायता

3.10.1 पेरौल सहायता के लिए उपबंध

3.10.1.1 उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक अतिरक्ति कर्मचारी (महिला कर्मचारियों के मामले में प्रति अतिरक्ति कर्मचारी रूपया 700 प्रतिमाह होगा) पर प्रतिमाह 500 रूपये का प्रस्ताव पात्र परियोजनाओं और इकाईयों को सहायता के लिए प्रस्तावित करते हुए विशिष्ट

(डॉ0 आर0 संजीव कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सीधे कर्मचारियों के न्यूनतम दो बार कर्मचारियों की संख्या को बढाया जायेगा।

3.10.1.2 अतिरिक्त कर्मचारी से विशिष्ट सीधे कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों की संख्या अभिप्रेत है।

3.10.1.3 केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना /पैकेज के अधीन समान साहयकी उपभोग करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी साहयकी के लिए पात्र नही होगा।

3.10.2 पेरौल सहायता के दावों के लिए प्रकिया

3.10.2.1 पेरौल सहायता की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई के रजिस्टीकरण के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चाट्ेड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य सहित विहित प्ररूप में "पेरौल सहायता के दावों के लिए आवेदन पत्र" में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

3.10.2.2 आवेदन पत्र तीन सेटों में संबंधित उत्तराधिकारी को आनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए अग्रेतर निर्देशों तक स्वहस्त विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतिकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को अभिलेख के लिए सम्यक हस्ताक्षरोंपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा और आवेदन की प्राप्ति भी देगा तथा आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवींक्षा समिति को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.10.2.3 जहां ऊपर खण्ड 3.10.2.1 में यथाउपबंधित समयवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.10.2.4 संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के कम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

3.10.2.5 राज्य स्तरीय समिति नोडल अभिकरण द्वारा इकाई के दावे के लिए पात्रता का अनुमोदन करने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की बैठक में सम्पूर्ण विवरण जिसमें दिया गया अनुमोदन, बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि और स्वीकृत संख्या दी जायेगी और संवितरण अभिकरण सहित सभी संबंधित को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के तुरंत पश्चात जो कि उसके बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नही होगी, सहायक अभिलेखों के पूर्ण सेट सहित आवेदन पत्र को अग्रसारित करेगी।

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

3.10.2.6 जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के लिए पात्र नही है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलबध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य स्तरीय समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी संबंधितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतक सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

3.10.3 **संवितरण हेतु प्रकिया**

3.10.3.1 स्वीकृत संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग डाफ्ट /पे आर्डर/ चैक और बैंक खाते में सीधे जमा करेगा।

अध्याय चार

विभिन्न प्रोत्साहन/लाभ और रियायतों के लिए आवेदन किए जाने हेतु आवेदन पत्र,प्ररूप, परिशिष्ट और संलग्नक

(डॉ0 आर0के0 कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

नीति के अधीन विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों/रियायतों इत्यादि के लिए आवेदन पत्र, प्ररूप, परिशिष्ट और संलग्नक निम्नवत है। ये कियान्वयन अभिकरण, नोडल अभिकरण आथवा संवितरण अभिकरण द्वारा समय –समय पर जैया अपेक्षित हो, यथाविहित नये प्ररूपों और ढांचों में उपांतरित अथवा परिवर्तित किये जा सकते है।

कसं.	विवरण	प्रपत्र विवरण
1	संवीक्षा समिति	परिशिष्ट–1
2	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (नई इकाई)	ईसी–1
3	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (विद्यमान इकाई)	ईसी–1क
4	पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	ईसी–2
5	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन	पीईसी–1
6	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	पीईसी–2
7	ब्याज साहायकी(सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (आईएनटी)
8	मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (दावा)
9	विद्युत देयक में सब्सिडी/ विद्युत सहायता के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीबीआर)
10	स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (एसटीडी)
11	मंडी कर की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (एमएनडी)
12	सीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (सीएसटी)
13	रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (आरजीएफ)
14	ईटीपी की साहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (इटीपी)
15	पेरौल सहाय के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीआरए)
16	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (समस्त नई इकाईयों हेतु)	अभियंता(नई इकाई)
17	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (विद्यमान इकाईयों हेतु)	अभियंता(विद्यमान इकाई)
18	सिविल कार्य की वास्तविक लागत का वक्तव्य	–
19	संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य सम्पति पर निवेश का विवरण	–
20	चार्टेड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (नई इकाई)	सीए–1
21	चार्टेड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (मौजूदा विद्यमान इकाई)	सीए–2
22	शपथ पत्र का प्रारूप	शपथ पत्र

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

23	उपक्रम का प्रारूप	उपक्रम

परिशिष्ट 'क'

संवीक्षा समिति

क.सं.	समिति के सदस्य	पद
1	प्रमुख सचिव/सचिव (उद्योग), उत्तराखण्ड शासन;	अध्यक्ष
2	प्रबंध निदेशक, सिडकुल;	सदस्य
3	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन;	सदस्य
4	निदेशक, वित्त/वित्त नियंत्रक, सिडकुल;	सदस्य
5	महाप्रबंधक, सिडकुल;	सदस्य
6	कम्पनी सचिव/प्रबंधक, लेखा, सिडकुल;	सदस्य

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

Mega Industrial and Investment Policy Operational Guidelines- 2016

No.: 640/2016/VII-1/17-उ०प्र०/2013 Date: 28-7-, 2016

Chapter: 1
GENERAL

1.1 Introduction:

These guidelines to be called **"Mega Industrial and Investment Policy Operational Guidelines-2016" (In Short MIIP Operational Guidelines 2016),** have been framed with objective of specifying the procedures to be observed for getting benefits, incentives, concessions and for sanction and disbursement and also for recovery of incentives if drawn irregularly or fraudulently under the **"Mega Industrial and Investment Policy 2015" (herein after referred as MIPP-2015).** These Guidelines shall be applicable from the date of issue of **"Mega Industrial and Investment Policy 2015"** i.e. 28th July, 2015 and remain in force for the entire validity period of the MIPP-2015. Eligible enterprises/units may avail the benefits, incentives and concessions as per **"Mega Industrial and Investment Policy 2015"** for maximum 5 (five) years from the date of commencement of commercial operation/production provided they commence operation/production within the above mentioned period.

1.2 Definitions:

a) **Capital Investment:** Means the total investment in the Project collectively from all sources as prescribed in these Guidelines i.e. the total investment in the Land, site development, Building and Plant & Machinery.

b) **Commencement of Commercial Production**:- Means:

(I) For a new Project/Unit, the date on which the Unit issues the first sale bill of the finished product.

(II) For an existing Project/Unit making investment for expansion, the date on which the Project/Unit issues the first sale bill of the finished product after completion of expansion.

c) **CST:** Means tax payable under the Central Sales Tax Act, 1956.

d) **Competent Authority:** Means officer(s) or agency or representative(s) of implementing agency who has been assigned any specific authority under these Guidelines for implementing the policy.

e) **Disbursing Agency (DA):** Means State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (in short SIIDCUL) or such other agency/department as may be designated from time to time that will be responsible for disbursement/reimbursement of any incentive/benefit/concessions to eligible units and responsible for taking necessary steps to demand/arrange required funds from Government of Uttarakhand to ensure timely disbursement to units.

f) **Electricity Duty**: Means the Electricity duty/cess payable under the Uttarakhand Electricity (Duty) Act (Uttarakhand Adaptation and Modification) Order, 2001.

g) **Existing Project/Unit:** - Means a project/unit, which is already in commercial production/operation in the industrial estates identified by State Government in the State of Uttarakhand and undergoing expansion within operative period shall be considered as existing project/unit.

(डॉ० राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास

h) **Expansion: -** Means increase in value of Capital Investment of an existing unit by at least Rs. 50.00 (Fifty) Crores.

i) **Fixed Capital Investment:-** Means and includes investment in non-movable fixed assets like Plant & Machinery and factory building (in case of new unit/project) or additional investment in Plant & Machinery and factory building (for expansion unit/project).

j) **Implementing Agency**: - The Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand shall act as the monitoring and implementing agency.

k) **Industrial Estate:** Means a industrial estate/industrial area identified/notified by Uttarakhand Government for establishment of industries in the state of Uttarakhand.

l) **Large, Mega, Ultra Mega Projects:** On the basis of Capital Investment projects shall be classified as Large, Mega and Ultra Mega as follows:-

1. Large Projects - Capital Investment of Rs. 50 Crore to Rs.75 Crore
2. Mega Projects - Capital Investment of Rs.75 Crores to Rs. 200 Crores.
3. Ultra Mega Projects - Capital Investment of more than Rs. 200 Crores.

m) **Mandi Tax/Fee:** Means the fee being levied and paid under the Uttarakhand Agriculture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 as amended from time to time.

n) **Manufacture:-** Means any activity that bring out a change in an article or articles as a result of some process, treatment, labour and results on transformation into a new and different article so understood in commercial parlance having a distinct name, character and use, but does not include such activity of manufacture as may be determined by the Government.

o) **New Project/Unit:-** Means a project/unit which has established project/unit in Industrial Estates identified by State Government in the State of Uttarakhand during the validity period of the **"MIPP-2015"** and has commenced commercial production during the validity period of the **"MIPP-2015".**

p) **Nodal Agency:** The State Udyog Mitra Cell in the Directorate of Industries shall be the Nodal Agency for receiving all the applications and claims under the policy and coordinating with the Scrutiny Committee (SC), State Level Committee (SLC) and Disbursement Agency (DA) for proper and timely processing of application and claims. Director (Industries) or such other officer authorized by him shall act as the Authorized Officer of the Nodal Agency.

q) **Policy**: Means "Mega Industrial and Investment Policy-2015".

r) **Scrutiny Committee (SC)**: Means committee constituted for scrutiny of applications and claims received under the policy and these guidelines as mentioned in Annexure 1 appended to these Guidelines.

s) **State Level Committee (SLC):** Means State Empowered Committee as prescribed in Section 3 subsection 1 of Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 (hereinafter referred as Single Window Act) read with relevant rules as amended from time to time or such other committee as may be prescribed from time to time for sanction of benefits under the policy.

t) **Stamp Duty**: Means the duty defined as stamp duty payable under the The Indian Stamp Act, 1899 (as applicable to the State of Uttarakhand).

1.3 Eligibility Criteria:

(a) Under this Guidelines only those new projects/units or existing units undergoing expansion shall be covered which falls within the Industrial estates identified as such by the State Government.

(b) Only those new project/unit or projects for expansion of existing units which have proposed capital investment (in case of expansion of existing units additional investment/proposed investment) of more than Rs. 50.00 Crores (Rupees Fifty Crores) shall be covered under this policy and would be entitled to avail benefits, incentives and concession as per MIPP-2015.

(c) For calculating this amount in case of new project/unit apart from fixed capital asset the value of land and Land Development cost (as actually paid/required to be paid) may be added subject to a maximum ceiling of 10 Acre of land for every Rs.50 Crore Capital investment.

(आर० आर० प्रवेश कुमार)

(d) For calculating this amount in case of expansion of existing unit only additional capital investment being made for expansion shall be taken into account.

(e) A unit already availing grants/incentives from a Department/an agency under State/Central Government/Foreign Agency shall not be eligible for similar type of incentives under this Policy.

(f) The project/unit undergoing Expansion shall be eligible for incentives only for the Additional Capital Investment made i.e. for the expanded portion of the existing unit. All the benefits, incentives, concessions eligible under this policy shall be applicable to each phase of expansion of existing unit separately. The duration of applicability of benefits, incentives and concessions shall be decided from first commercial production date of respective expansion phase(s).

1.4 Eligibility Certificate (EC):

(a) Eligibility Certificate is a certificate which shall be issued by the competent authority in this regard. This shall be issued after ensuring that all criteria for eligibility have been fulfilled to the full satisfaction of the competent authority.

(b) A unit must apply for Eligibility Certificate to the Authorized Officer of the Nodal Agency in the prescribed form within 90 days of commencement of commercial production.

(c) Application for Eligibility Certificate shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record.

(d) Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

(e) Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC.

(f) The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with recommendation of the Scrutiny Committee (SC), in its forthcoming meeting in order of receipt. Upon approval of application for Eligibility Certificate (EC), Authorized Officer of the Nodal Agency shall issue the Certificate in prescribed form to the applicant immediately and not later than fifteen days from date of meeting of SLC.

(g) Changes in capital investment, product and date of commencement of production after substantial expansion should be recorded in the EM Part II/IEM acknowledgment etc. of the unit before applying for EC.

(h) In case of existing unit undergoing expansion, joint capacity assessment duly certified by a Chartered Engineer should be submitted along with the EC application Form. The unit concerned should apply their intention of taking up expansion programme well in advance to the competent authority. The Capital Investment made by the unit for expansion purpose shall be computed from the date of their advance application till the date of going into commercial production after expansion.

(i) No condonation of delay in submission of application of EC or other application for incentive shall be allowed. However, in case of sufficient ground, the condonation of delay may be allowed by State level Committee (SLC).

(डॉ0 अरुराजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

(j) No right or claim for any incentives under the policy shall be deemed to have been conferred by the policy merely by virtue of the fact that the unit has fulfilled on its part the conditions of the Policy unless State Level Committee (SLC) has approved the claim.

(k) The incentives under the policy cannot be claimed unless the Eligibility Certificate has been issued under the Policy by the implementing agency concerned and the unit has complied with the stipulation /conditions of Eligibility Certificate to the satisfaction of the competent authority.

(l) The decision of the implementing agency, subject to such direction as Government may issue from time to time in this regard shall be final and binding.

(m) A unit will be eligible to apply for all kind of concessions/incentives/exemptions/reimbursement under the policy after receiving the Eligibility Certificate.

1.4 A Provisional Entitlement Certificate (PEC)

(a) Provisional Entitlement Certificate (PEC) is a certificate which shall be issued by the Competent Authority in this regard to enable those desirous of setting up new units and to avail benefits/concessions under the policy to avail concessions in land rates, rebate in stamp duty and such other benefits which can be claimed before going into commercial production and which cannot wait issuance of Eligibility Certificate (EC).

(b) The units seeking eligibility under MIIP-2015 can apply for Provisional Entitlement Certificate (PEC) in the prescribed form to the Nodal Agency with all relevant documents and testimonials for issuance of Provisional Entitlement Certificate.

(c) Application for Provisional Entitlement Certificate shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record.

(d) Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

(e) Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC.

(f) The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt. Upon approval of Application for Provisional Entitlement Certificate, Authorized Officer of the Nodal Agency shall issue the Certificate in prescribed form to the applicant immediately and not later than fifteen days from date of meeting of SLC.

(g) The Unit after receiving of Provisional Entitlement Certificate will be able to claim concession in Land Rates and revised payment term and such other benefits which can be claimed before start of commercial production as per MIPP-2015. The amount of concession given by SIIDCUL on the basis of Provisional Entitlement Certificate issued under the policy would be reimbursed to SIIDCUL/adjusted against fund made available under the policy or against the value of land made available by the Government to SIIDCUL.

(g) Existing Units going for expansion can apply for Provisional Entitlement Certificate after getting acknowledgement of filing Entrepreneur's Memorandum (EM) with the concerned District Industries Center (DIC) or Industrial Entrepreneur's Memorandum (IEM) with Government of India.

(डॉ० आर०राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

1.5 Eligible/ Non-eligible items of Civil Works and Plant & Machinery:

(A) Eligible Civil Works:

The following Civil Works directly connected to manufacturing process / service rendered will be treated as eligible for consideration as **"Eligible Civil Works"**:

(i) Factory shed/ building including utility area directly involved in manufacturing and essential allied processes namely engineering store, quality control, electrical room, maintenance workshop (actual or prevalent PWD Schedule of Rates whichever is lower).

(ii) Essential residential facilities as per prevailing SIDA norms as applicable.

(iii) Raw material and finished product godown constructed at factory premises (actual or prevalent PWD Schedule of Rates whichever is lower).

(iv) Essential civil construction works like machine/equipment foundation (actual or prevalent PWD Schedule of Rates whichever is lower).

(v) Engineers' Certificate shall be submitted in the prescribed format.

(vi) Actual cost of civil works shall be submitted as per prescribed format.

(A.1) Non-Eligible Civil works:

The following Civil Works not directly connected to manufacturing process / service rendered will be treated as non-eligible civil works (the list is not exhaustive):

(i) Boundary Wall & Gate.

(ii) Approach Road/ Internal roads.

(iii) Office Building/Space utilized for office.

(iv) Raw material /finished product godown situated at a different location other than factory premises

(v) Any residential building or rest house/guest house

(vi) Canteen

(vii) Labour rest room and quarters for workers

(viii) Security/ Guard Room or enclosure

(ix) Construction of weigh bridge

(x) Consultancy fee, taxes etc.

(B) Eligible Plant & Machinery:

The following items of Plant & Machinery will be treated as eligible for consideration as Eligible Plant and Machinery.

(i) Original price of machinery / equipment directly connected to manufacturing process.

(ii) Accessories like tools, jigs, dies, moulds directly connected to manufacturing process.

(iii) Motors connected with Plant & Machinery.

(iv) Machinery/equipment installation, erection and commissioning.

(v) Transportation charges, Transit Insurance, VAT / CST, Excise Duty, entry tax etc. paid (in case of indigenous machinery / equipment).

(vi) Import duty, shipping charges, CVD, container handling charges, customs clearance charges, VAT / CST, transportation charges from port, entry tax etc. paid (in the case of imported machinery / equipment).

(vii) Quality Control (R&D), Pollution Control and Fire Fighting equipment

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

(viii) Electrical Installations including internal electrification, Panel Board, dedicated transformer, gas producer plant, power generating set etc.

(ix) Payment against all the above items must be made by A/c payee cheque,/Demand Draft /NEFT/RTGS which should be reflected in the Bank Statement to be submitted with the application for Eligibility Certificate.

(x) Chartered Accountant Certificate (CA Certificate) shall be submitted in the prescribed format.

(B.1) Non-Eligible Plant & machinery

The following items will not be treated under eligible Plant and Machinery (the list is not exhaustive):

(i) Plant & Machinery not directly related to manufacturing process.
(ii) Fuel, Consumables, Spares and Stores.
(iii) Computers and Office furniture.
(iv) Vehicles.
(v) Second hand/ old machinery.
(vi) Closed circuit CCTV camera and security system related equipment.
(vii) Stationery items

1.6 Others:

(a) Determination of Capital Investment: - In case of any differences arises in determination of capital investment, the SLC/approving authority shall examine and take a decision on it.

(b) In case of existing unit undergoing expansion joint capacity assessment duly certified by Chartered Engineer should be submitted along with the EC application form. The unit concerned should apply their intention of taking up expansion programme well in advance to the competent authority. The Capital Investment made by the unit shall be computed from the date of their advance application till the date of going into commercial production after expansion. The authenticated advance application should be enclosed with the application for Eligibility Certificate.

(c) New unit availing benefits/concession/incentives under the policy shall be eligible for availing benefits/concessions/incentives for any further expansion only on completion of 6 (six) months of operation of the existing unit/expanded unit.

(d) The cut-off date of Investment in Civil construction as well as in Plant & Machinery shall be from the date of receipt of acknowledgement of EM-1/IEM to till the date of commencement of commercial production of the unit.

(e) The Disbursing Agency shall release the fund against the incentive, concessions, benefits, reimbursements approved by the SLC subject to availability and release of sanctioned fund by the Government.

(f) SLC shall be competent to approve or reject any application or claim/modified claim on the basis of recommendation of the Scrutiny Committee or on some other valid ground or keep on hold any application/claim due to unavailability of sufficient fund for this purpose as it may deem fit.

(g) In the event of any irregularity found in documents or any misrepresentation of facts by the beneficiary unit(s), the Competent Authority may issue notice/s, show cause and withdraw the benefit(s) immediately. The concerned authority may allow the unit to submit their representation/replies in not exceeding 15 (fifteen) days' time from the date of issuance of the notice/show cause. The decision of the concerned authority shall be final and binding.

(h) The concerned authority shall ask the unit to refund the benefit wrongly availed within a period of 30 (thirty) days. If the unit fails to do so, the authority may go for legal action at the competent court of law for recovery of the amount as well as interest thereon and further take recourse to such penal action as permitted under law.

(डॉ0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

(i) **In the event a unit fails to come into commercial production within three years of date of allotment of land or issue of provisional entitlement certificate or eligibility certificate, whichever is earlier, all benefits given under the policy shall be taken back.** In the event of closure of any unit after continuous production of three years from the date of commencement of commercial production, the amount of grant/subsidy so approved by the concerned committee shall be released to the unit concerned through their Bank(s) or financial institution(s).

(j) All eligible units shall submit affidavits as per prescribed format stating that the information submitted along with the application/s are true.

1.7 Right to modify/amend etc.:

(a) The State Government reserves the right to add, modify or delete any part of the guidelines in public interest at any time.

(b) The State Government may in appropriate cases after careful consideration of pros and cons give relief as regard to application or non-application of any particular provision of these guidelines.

(c) The State Government may, if it so wishes, add any additional condition or in appropriate cases after careful consideration decide to modify any incentive/benefits under the policy.

1.8 Miscellaneous:

(a) If any clarification would be required as regard to implementation of the these Guidelines the Department of Industrial Development of Government of Uttarakhand shall have the authority to issue necessary clarification in this regard.

(b) Department of Industrial Development of Government of Uttarakhand shall have the right to correctly interpret any provision of these guidelines in case of any ambiguity.

1.9 Introduction of New Tax Act(s) affecting financial assistance under Policy:

If and at such time, VAT and /or CST are replaced by Goods and Services Tax or any other similar law for the levy of tax in the state of Uttarakhand, after the date of issue of these guidelines the financial interest of the units would be adjusted in order to maintain the same economic benefits to the unit.

1.10 Rectification of Mistake

With a view to rectify any mistake apparent on the record in computation of amount of subsidy under the Policy, the authority competent to disburse subsidy may rectify its order and recover the excess amount, if any, along with interest @ 12% per annum from such Unit. No order shall be passed after the expiry of a period of one year after the financial year by which the benefits under this Scheme are fully availed of.

1.11 Appeal

(a) The State Level Committee shall be empowered to hear and decide appeals against the orders of competent authority of concerned department/implementing agency/disbursing agency.

(b) An appeal against any order/decision of State Level Committee (SLC) can be made to State Government.

(c) The application for appeal shall be filed within a period of 30 days from the date of communication of the decision.

(डॉ0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

1.12 Clarification/Modification/Rectification of Policy

(a) Government of Uttarakhand reserves the right to rectify/modify/clarify the policy as and when needed in public interest. However, Forms appended to the policy may be modified, changed, added or deleted by the Department of Industrial Development as and when needed for the sake of convenience in implementation of the policy.

(b) Department of Industrial Development of Government of Uttarakhand shall have the right to correctly interpret any provision of these guidelines in case of any ambiguity.

(c) The State Government may in appropriate cases after careful consideration of pros and cons give relief as regard to application or non-application of any particular provision of these guidelines.

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

Chapter 2
BENIFITS/CONCESSIONS/INCENTIVES TO ELIGIBLE UNITS

2.1 Allotment of Land by SIIDCUL:

a. The allotment of land under these provisions shall be done by SIIDCUL to interested entrepreneurs under current single window policy as per time to time decided guidelines and as per prevailing rates of SIIDCUL.

b. Under this policy a special exemption/discount of 15% to Large Projects, 25% to Mega Projects and 30% to Ultra Mega Projects on prevailing rates of SIIDCUL will be given on land allotment based on Provisional Entitlement Certificate (PEC) issued by the Competent Authority.

c. 20% of land premium/price (after exemption/discount) of land allotted by SIIDCUL under this policy shall be payable on allotment of the land and rest amount will be payable with interest in equal installments during next 7 years.

2.2 Other Concessions & Incentives under the policy for eligible Large/Mega/Ultra Mega projects/units:

(a) Units under MSME sector shall be given a capital subsidy of 15% or a maximum of Rs. 50 Lac and Large/Mega Units shall be given a capital subsidy of 15% or a maximum of Rs.30 Lac up to the year 2017 by the Central Government.

(b) Uttarakhand state shall provide the interest subsidy of maximum 7% for next 5 years from commencement of the commercial production.

(c) Uttarakhand Government shall give reimbursement of 30% amount of VAT to large projects and 50% of VAT to Mega Projects/Ultra Mega Projects for next 5 years from commencement of commercial production on sale of finished products.

(d) Uttarakhand state shall provide concession of Rs. 1/- per unit on electricity units consumed and will ensure no undeclared power cut for next 5 years from commencement of commercial production. 100% exemption on payment of Electricity duty shall be given for next 5 years from commencement of commercial production.

(e) Uttarakhand state shall provide 50% exemption on payment of stamp duty to Units covered under the policy on execution of Land Purchase/Lease Deed.

(f) Uttarakhand Government shall give concession in Registration Fee of Land Purchase/Lease Deed by charging Rs.1/- for each Rs.1000/- value.

(g) Uttarakhand Government would provide capital subsidy of 30% for establishment of ETP subject to a maximum of Rs. 50.00 Lakh.

(h) Uttarakhand Government shall give an exemption of 75% on Mandi Tax to Textile Units.

(i) Uttarakhand state proposes to charge 1% CST for eligible units on sale of finished products for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production.

(j) Uttarakhand Government proposes to give payroll assistance to eligible projects/units of Rs. 500/- per month per additional employee (Rs.700/- per month per additional employee in case of women employees) provided total number of employees exceed at least 2 (Two) times of "Specified Threshold of Direct Employees". Additional employee means number of employees exceeding "Specified Threshold of Direct employees".

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
शासन।

Chapter 3:
PROVISIONS, PROCEDURES AND DISBURSEMENTS OF BENEFITS

3.1 Capital Subsidy

3.1.1 Capital subsidy shall be governed as per existing norms and procedures as applicable from time to time.

3.2 Interest Subsidy:

3.2.1 Provisions for Interest Subsidy

3.2.1.1 The Unit availing similar benefit or incentives or subsidy under any other scheme/package of Central Government or State Government shall not be eligible to get this benefit under the Scheme.

3.2.1.2 The interest subsidy shall be allowed on the term loan taken from State Financial Institutions/Financial Institution/Bank recognized by Reserve Bank of India for making investment in project plant and machinery and buildings. Any term loan taken before commencement of the policy for which first installment has already been disbursed before the commencement of policy shall not be considered for interest subsidy.

3.2.1.3 The interest subsidy shall be available only for interest levied by the Financial Institution/Bank. Penal interest or other charges shall not be reimbursed.

3.2.1.4 The interest subsidy shall be allowed for a period of 5 years from the commencement of commercial production or up to the period of repayment of loan, whichever is earlier.

3.2.1.5 The interest subsidy shall be given to the Unit which pays regular installments and interest to the Financial Institution/bank. If the Unit becomes a defaulter, it will not get interest subsidy for the default period and such defaulting period will be deducted from seven years period as mentioned at 3.2.1.4 above.

3.2.2 Procedure for Claim of Interest Subsidy:

3.2.2.1 Eligible Units desirous of availing interest subsidy under the policy shall submit a duly completed application "Application for claim of Interest Subsidy" in the prescribed format along with the documents required under the said Form to the Nodal Agency. The application for disbursement of interest subsidy shall be accompanied by certificate of concerned bank/financial institution, certifying the repayment of Principal Amount and Interest by the unit regularly. The bank will also certify if there is any default in repayment of Principal Amount/Interest. The first application for claim of interest subsidy shall be made within 45 days of start of commercial production including therein claim for reimbursement of interest paid till that date. Subsequent claims shall be made on Quarterly basis within 45 days of end of quarter.

3.2.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.2.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.2.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विकास

3.2.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.2.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.2.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.2.3 Procedure for Disbursement of Interest Subsidy

3.2.3.1 Disbursement of interest subsidy shall be made only after Commencement of Commercial production.

3.2.3.2 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

3.3 VAT Reimbursement:

3.3.1 Provisions for VAT Reimbursement and Exemption:

3.3.1.1 The Unit shall get registration under Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

3.3.1.2 The Unit shall purchase raw material (as prescribed by the commercial or such other concerning department) and packing material used in manufacturing from a dealer registered under Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 on VAT invoice.

3.3.1.3 For Large projects 30% reimbursement of VAT paid on sale and for Mega Projects/Ultra Mega Projects 50% reimbursement of VAT paid on sale shall be made to eligible Unit under the Policy for 5 (five) years from the date of commencement of commercial production.

3.3.2 Procedure for Claim of VAT Reimbursement:

3.3.2.1 Eligible Unit desirous of availing of reimbursement of VAT shall submit a duly completed application form for reimbursement of VAT in form "Application for Claim of Reimbursement of VAT" in prescribed format, before the Nodal Agency. The first application for claim of VAT reimbursement shall be made within 45 days of start of commercial production including therein claim for reimbursement of VAT paid till that date. Subsequent claims shall be made on Quarterly basis within 45 days of end of each quarter.

3.3.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.3.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.3.3.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

3.3.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.3.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (days) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.2.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.3.3 Procedure for Disbursement of VAT:

3.3.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

3.4 Power Assistance/Power Bill Rebate:

3.4.1 Provision for Power Assistance:

3.4.1.1 Eligible textile units will be provided continuous power supply with pre-declared power roasting for next five years after commencement of commercial production.

3.4.1.2 Uttarakhand state shall reimburse Rs. 1/- per unit on electricity units consumed for next five years after commencement of commercial production.

3.4.1.3 Eligible units shall get 100% reimbursement of Electricity Duty for next seven years after commencement of commercial production.

3.4.1.4 Reimbursement of electricity duty paid and Rs. 1/- per unit on electricity units consumed shall be applicable only on electricity consumed for manufacturing/production or allied purposes connected to single connection given for industrial use to the unit.

3.4.2 Procedure for Claim of Power Assistance:

3.4.2.1 Eligible units desirous of availing 100% reimbursement of electricity duty and reimbursement of Rs. 1/- per unit on electricity units consumed shall submit a duly completed application form for reimbursement in prescribed format, before the Nodal Agency. The application shall be made on quarterly basis after commencement of commercial production within 45 days of end of each quarter.

3.4.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.4.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.4.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

3.4.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.4.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.4.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.4.3 Procedure for Disbursement of Power Assistance:

3.4.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

3.5 Stamp Duty

3.5.1 Provision for Stamp Duty Exemption/Reimbursement:

3.5.1.1 The eligible units shall be provided 50% reimbursement on payment of Stamp duty on execution of Land Purchase/Land Lease deed.

3.5.2 Procedure for Stamp Duty Exemption:

3.5.2.1 Eligible Unit making investment for setting up of a new Unit or for expansion of an existing unit under the policy, shall submit a duly completed application form "Application for re-imbursement of Stamp Duty" in prescribed format before the Nodal Agency. The application shall be made within 45 days after execution of deed and shall be accompanied by an Affidavit in support of the facts mentioned in the application.

3.5.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.5.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.5.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.5.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.5.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of

(डॉ0 आर0रमेश कुमार)
अपर सचिव,

supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (Seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.5.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.5.3 Procedure for Reimbursement of Stamp Duty paid:

3.5.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

3.6 Mandi Tax/Fee Exemption:

3.6.1 Provision for Mandi Tax Exemption/ Reimbursement:

3.6.1.1 Eligible units will get reimbursement upto 75% on payment of Mandi Tax/fee on all items related to particular Industry, whether raw/processesed/finished products, on which Mandi Tax is applicable.

3.6.2 Procedure for Mandi Tax Reimbursement

3.6.2.1 Eligible Unit desirous of availing 75% reimbursement of Mandi Tax/Fee paid, shall submit a duly completed application form "Application for reimbursement of Mandi Tax" in prescribed format along with details of tax paid duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency after commencement of commercial production on quarterly basis within 45 days of end of quarter.

3.6.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.6.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.6.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.6.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.6.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.6.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
अपर सचिव,

3.6.3 Procedure for Reimbursement of Mandi Tax paid:

3.6.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

3.7 Reimbursement of CST

3.7.1 Provisions for CST Reimbursement:

3.7.1.1 The Unit shall get registration under Central Sales Tax Act, 1956.

3.7.1.2 Reimbursement of CST paid in excess of 1% on sale shall be made to eligible Unit under the Policy for 5 (five) years from the date of commencement of commercial production.

3.7.2 Procedure for Claim of CST Reimbursement:

3.7.2.1 Eligible Unit desirous of availing eimbursement of CST paid in excess of 1%, shall submit a duly completed application form "Application for reimbursement of CST" in prescribed format along with details of tax paid duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency after commencement of commercial production on quarterly basis within 45 days of end of quarter.

3.7.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.7.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.7.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.7.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.7.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.7.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting

3.7.3 Procedure for Disbursement of CST:

3.7.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

(डॉ० आर० लोहा कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास

3.8 Reimbursement of Registration Fee

3.8.1 Provisions for Reimbursement of Registration Fee:

3.8.1.1 Reimbursement of Registration Fee paid for registration of Land Purchase Deed/ Lease Deed in excess of Rs.1/- per Rs.1000/- shall be made to eligible Unit under the Policy.

3.8.2 Procedure for Claim of Reimbursement of Registration Fee:

3.8.2.1 Eligible Unit desirous of availing reimbursement of excess Registration Fee paid, shall submit a duly completed application form "Application for reimbursement of Registration Fee" in prescribed format along with details of Registration Fee paid along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of registration of Land Purchase/Leas Deed.

3.8.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.8.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.8.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.8.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.8.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.8.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting

3.8.3 Procedure for Disbursement:

3.8.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव,
विकास

3.9 Subsidy on ETP

3.9.1 Provisions for Subsidy for Establishment of ETP:

3.9.1.1 Uttarakhand Government shall give a 30% subsidy for establishment of Effluent Treatment Plant (ETP) subject to a maximum of Rs.50.00 (Fifty) Lakh under the policy to eligible projects/units.

3.9.1.2 The Unit availing similar subsidy under any other scheme/package of the Centre/State Government shall not be eligible for capital subsidy under this policy.

3.9.1.3 The subsidy for establishment of ETP shall be calculated on fixed capital investment directly connected to the establishment of ETP.

3.9.1.4 The eligible units shall be able to claim subsidy for establishment of ETP only after successful completion of ETP Plant.

3.9.2 Procedure for Claim of subsidy on Establishment of ETP:

3.9.2.1 Eligible Unit desirous of availing subsidy on establishment of ETP, shall submit a duly completed application form "Application for claim of subsidy for ETP " in prescribed format along with details of Registration Fee paid along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of successful completion of ETP unit.

3.9.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.9.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.9.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.9.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.9.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.9.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting

3.9.3 Procedure for Disbursement:

3.9.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

(डॉ0 आर0राजीव कुमार)
अपर सचिव

3.10 Payroll assistance for promoting greater employment generation.

3.10.1 Provisions for Payroll Assistance:

3.10.1.1 Uttarakhand Government proposes to give payroll assistance to eligible projects/units of Rs. 500/- per month per additional employee (Rs.700/- per month per additional employee in case of women employees) provided total number of employees exceed at least 2 (Two) times of "Specified Threshold of Direct Employees".

3.10.1.2 Additional employee means number of employees exceeding "Specified Threshold of Direct employees".

3.10.1.3 The Unit availing similar subsidy under any other scheme/package of the Centre/State Government shall not be eligible for capital subsidy under this policy.

3.10.2 Procedure for Claim of Payroll Assistance:

3.10.2.1 Eligible Unit desirous of availing Payroll Assistance under the policy, shall submit a duly completed application form "Application for claim of Payroll Assistance " in prescribed format along with relevant details duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of end of each quarter.

3.10.2.2 Application shall be submitted in three sets to the concerned authority in prescribed format manually till further instruction for online submission. In case of online submission three sets of printout of the application along with all the annexed documents shall also be submitted duly signed to the nodal agency for record. Nodal Agency or his authorized representative shall prima facie evaluate the application to check whether the application has been properly filled and relevant documents etc. have been annexed with the application or not and shall register the same in the Register kept for this purpose with an acknowledgement to applicant and promptly forward the application to the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications shall be returned to the unit justifying reasons for rejection.

3.10.2.3 Where the application has been filed beyond the time period as provided in clause 3.10.2.1 above, the SLC having been satisfied with the genuineness of cause of delay, may condone the delay not exceeding 90 days in filing of the application from the prescribed date of application.

3.10.2.4 Scrutiny Committee shall examine the application and return back the same within 30 days with its recommendation to the Nodal Agency for placing it before SLC. The Nodal Agency shall place the application before SLC, along with the recommendation of the Scrutiny Committee (SC) in its forthcoming meeting in order of receipt.

3.10.2.5 Upon approval of the entitlement for the claim of the Unit by SLC, the Nodal Agency shall complete the details of meeting of SLC in which approval was given, date of meeting, amount sanctioned, and sanction number and shall forward the application along with complete set of supporting documents to disbursing agency, with copies to all concerned, immediately but not later than 7 (seven) days from the date of decision taken by the SLC in its meeting.

3.10.2.6 Where the SLC is of the opinion that the Unit is not eligible or the claim is unjustified, it shall record the reasons of rejection in writing. The decision of the committee to reject the claim shall be communicated by the Nodal Agency to the Unit and all concerned immediately but not later than fifteen days from the date of decision taken by the SLC in its meeting

3.10.3 Procedure for Disbursement:

3.10.3.1 On receipt of communication from the Nodal Agency regarding sanction Disbursing Agency (DA) or any officer authorized by DA shall pass an order for reimbursement of approved claim amount and shall promptly disburse the amount to the Unit through demand draft/pay order/cheque/by remittance directly into the bank account of the Unit subject to availability of fund for this purpose.

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड।

Chapter: 4

APPLICATION FORMS, FORMATS, ANNEXURE AND APPENDIX FOR APPLYING FOR VARIOUS INCENTIVES/BENEFITS/CONCESSIONS

The following forms, formats are being prescribed for applying for various incentives/benefits/concessions etc. under the policy. These may be modified or changed or new forms and formats may be prescribed, as may be required from time to time, by the Implementing Agency, Nodal Agency or the Disbursing Agency.

Sl.	Particular	Form Description
1	Scrutiny Committee	Annexure-1
2	Application for Eligibility Certificate (New Unit)	EC-1
3	Application for Eligibility Certificate (Existing Unit)	EC-1A
4	Format of Eligibility Certificate (New Unit)	EC-2
5	Format of Eligibility Certificate (Existing Unit)	EC-2A
6	Application for Provisional Entitlement Certificate	PEC-1
7	Format of Provisional Entitlement Certificate	PEC-2
8	Application for Claim of Interest Subsidy	Claim (INT)
9	Application for Claim Reimbursement of VAT	Claim (VAT)
10	Application for claim of Power Assistance/Power Bill Rebate	Claim (PBR)
11	Application for claim of reimbursement of Stamp Duty	Claim (STD)
12	Application for claim of reimbursement of Mandi Tax	Claim (MND)
13	Application for claim of reimbursement of CST	Claim (CST)
14	Application for claim of reimbursement of Registration Fee	Claim (RGF)
15	Application for claim of subsidy for ETP	Claim (ETP)
16	Application for claim of Payroll Assistance	Claim (PRA)
17	Format of Engineers Certificate (For all New Units)	ENG (New Unit)
18	Format of Engineers Certificate (For Existing Units undergoing Expansion)	ENG (Existing Unit))
19	Statement of Actual Cost of Civil Works	-
20	Statement of Investment on Plant & Machinery and other Assets	-
21	Format of Chartered Accountant Certificate (New Unit)	CA-1
22	Format of Chartered Accountant Certificate (Existing Unit undergoing Expansion))	CA-2
23	Format of Affidavit	Affidavit
24	Format of Undertaking	Undertaking

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।

Annexure-A

Scrutiny Committee

Sl.	Committee Members	Status
1	Principal Secretary/Secretary (Industry), Government of Uttarakhand	Chairman
2	Managing Director, SIIDCUL	Member
3	Additional Secretary (Finance), Government of Uttarakhand	Member
4	Director (Finance)/Finance Controller, SIIDCUL	Member
5	General Manager, SIIDCUL	Member
6	Company Secretary / Manager (Accounts), SIIDCUL	Member

(डॉ0 आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव,
औद्योगिक विकास
उत्तराखण्ड शासन।